# न्यायाल उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस.

| राजस्व प्रार्थनापत्र सं0 | दायरा दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 220 / 2013 | 08.10.2013 | 11-12-2014 |

उनवान

1. रामपाल पुत्र फूसाराम जाति अहीर ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– प्रार्थी / वादी

बनाम

1. बिमलादेवी पत्नी दुलीचन्द जाति अहीर ग्राम कुतुबपुर
2. रमेश पुत्र फूसा
3. रामहेर पुत्र फूसा जाति अहीरान ग्राम कुतुबपुर
4. रामप्रताप पुत्र बिहारी
5. बिशम्भरदयाल पुत्र बिहारी
6. मायादेवी बेवा फूसा जाति अहीरान ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम
7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटकासिम जर्ये शाखा प्रबंधक कोटकासिम
8. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम
9. एस. बी. बी. जे. शाखा कोटकासिम जर्ये शाखा प्रबंधक कोटकासिम

:– अप्रार्थीगण / प्रतिवादीण

10. जयभगवान पुत्र फूसा जाति अहीर ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– तरतीबी अप्राथी

दावा इश्तकरारहक । प्रार्थनापत्र अंतर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित
धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित:

1. श्री श्रीभगवान यादव अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्रीकृष्ण यादव अधिवक्ता अप्रार्थिया



Scanned by CamScanner

निर्णय

प्रार्थनापत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी इस प्रकार पेश किया है कि प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र, एवं दस्तावेजों से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित होता है। विवादित आराजी मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो रहा है। विवादित आराजी में मिन प्रार्थी का 1/10 हिस्सा व तरतीबी अप्रार्थी का 1/10 हिस्सा सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त का है। जिस पर मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 के साथ सामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी के बीचों–बीच ग्राम शेरपुर से ग्राम बूढ़ाबावल को डामरीकरण सड़क गुजर रही है। अप्रार्थी सं0 2 व अप्रार्थी सं0 3 ने विवादित आराजी में अपना समस्त हक हिस्सा का बेचान जर्ये बयनामा दिनांक 21.08.2013 को बिना कनवर्ट कराये ही वर्गगज में दिशा अंकित कर सड़क से लगता हुंआ हिस्सा किया है वो बयनामा गलत कराया है। कानूनन बिना भूमि रूपान्तरण कराये बयनामा वर्गगज में नहीं कराया जा सकता है जो बयनामा दिनांक 21.08.2013 को विवादित आराजी का अप्रार्थीया सं0 1 ने वर्गगज में रमेश व रामहेर से खरीद किया है वो बयनामा विधि विरूद्ध हुआ है। अप्रार्थीगया सं0 1 विवादित आराजी के किसी भी जुज पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। वो गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजी है। परन्तु अप्रार्थीया सं0 1 विधि विरूद्ध बयनामा के आधार पर विवादित आराजी पर अपना जबरन कब्जा कर काश्त करना चाहती है व विधि विरूद्ध बयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज करवाने की जुस्तजु में है। अप्रार्थीया सं0 1 ने विवादित आराजी में जबरन अपना कब्जा करने का असफल प्रयास दिनांक 05.10.2013 को किया और अप्रार्थीया सं0 1 ने मिन प्रार्थी को ऐलानिया तौर पर धमकियां दी कि मैं विवादित आराजी पर अपना जबरन कब्जा करूंगी और काश्त करूंगी और इंतकाल अपने पक्ष में दर्ज राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर कराऊंगी और काश्त कार्य तुम्हें नहीं करने दूंगी। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकारों की आराजी वंचित होना पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपये में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण सं0 1, 2, 3, 8 को जर्ये हुक्मईम्तनाईदवामी चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। व सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण सं0 1, 2, 3, 8 को जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी हाल ख0 नम्बर 938/1–00 बीघा वाके ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर अपना जबरन कब्जा ना करे, ना ही किसी



उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

भी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करे, ना काश्त कार्य करे, ना ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जबरन बेदखल करे, मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थीया सं0 1 के पक्ष में विधि विरूद्ध बयनामा दिनांक 21.08.2013 के अनुसार विवादित आराजी का इंतकाल दर्ज व मंजूर करे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

अप्रार्थिया 1 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। जवाब प्रार्थनापत्र में अप्रार्थिया 1 द्वारा अंकित किया कि प्रार्थी ने झूंठा वादपत्र, शपथपत्र पेश किया है। जिनसे प्रार्थी का केस किसी भी सूरत में प्राइमाफेसाई आयद व साबिन नहीं होता है। प्रार्थना पत्र सिर्फ इतना सही है कि विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी व अप्रार्थीगण स0 2 लगायत 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। बाकी गलत है, विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/10 हिस्सा व तरतीबी अप्रार्थी का 1/10 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। विवादित आराजी का प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 6 के मध्य पूर्व में ही बाहमी बंटवारा हो रहा था। बाहमी बंटवारा के अनुसार ही ये काबिज काश्त अपने–अपने हिस्से की आराजी पर थे। विवादित आराजी में अप्रार्थी सं0 2 रमेश व अप्रार्थी सं0 3 रामेहर का 1/5 भाग खातेदारी कब्जा काश्त का था। बाहमी बंटवारा के अनुसार ही अप्रार्थी सं0 2, 3 विवादित आराजी में अपने 1/5 हिस्से पर काबिज खातेदार काश्तकार थे। बाहमी बंटवारा में जो अप्रार्थी सं0 2 व 3 का 1/5 हक हिस्सा था जिस पर ये काबिज काश्त थे उस समस्त हक हिस्से को मिन अप्रार्थीया सं0 1 बिमलादेवी ने अप्रार्थी सं0 2 व 3 को सौदे के मध्य समस्त चुकता रकम अदा कर जर्ये बयनामा दिनांक 21.08.2013 को खरीद किया। दिनांक 21.08.2013 को अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने विधि सम्मत तरीक से मिन अप्रार्थीया सं0 1 के हक में बयनामा लिखवाया और इस बयनामा पर अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये और अपने–अपने गवाहान के हस्ताक्षर गवाहान से करवाये और विधि सम्मत तरीके से हुये बयनामा को श्रीमान उप–पंजियक महोदय, कोटकासिम से समक्ष दिनांक 21.08.2013 को ही तस्दीक व पंजिबद्ध हेतु पेश किया गया। श्रीमान उप–पंजियक अधिकारी, कोटकासिम ने उक्त बयनामा को सही मानकर तस्दीक व पंजिबद्ध मिन अप्रार्थीया सं0 1 के पक्ष में किया है। दिनांक 21.08.2013 को ही अप्रार्थी सं0 2 व 3 विवादित आराजी में बाहमी बंटवारा में आई हुई आराजी 1/5 हिस्से पर जहां



उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

काबिज थे वही पर ही मिन अप्रार्थीया सं0 1 को सौंप दिया जिसका अंकन बयनामा दिनांक 21.08.2013 में ही स्पष्ट हो रहा है। वक्त खरीद से ही आज तक बदस्तूर विवादित आराजी में जहां पर पहले अप्रार्थी सं0 2 व 3 का उनके 1/5 हिस्से पर कब्जा था वही पर ही मिन अप्रार्थीया सं0 1 काबिज है। मौके पर मिन अप्रार्थीया सं0 1 ने अपनी उक्त खरीदशुदा आराजी पर पत्थर डाल रखे है व ईंधन डाले हुये है। बाद बेचान से अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 का विवादित आराजी से कोई लेना–देना नहीं है। ना कब्जा काश्त है। वो गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजी है। मिन अप्रार्थीया सं0 1 अप्रार्थी सं0 1, 4, 5, 6 व प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के साथ काबिज काश्त है। विवादित आराजी का बाहमी बंटवारा पूर्व में हो रहा था। इस बाहमी बंटवारा में अप्रार्थी सं0 2 व 3 का विवादित आराजी में 1/5 हिस्सा था। जिस पर वे काबिज काश्त थे उसी हक हिस्से को मिन अप्रार्थीया सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 2 व 3 को समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर जर्ये बयनामा दिनांक 21.08.2013 को खरीद किया हुआ है। वक्त खरीद से ही मिन अप्रार्थीया सं0 1 जहां पर अप्रार्थी सं0 2 का व अप्रार्थी सं0 3 का 1/5 हिस्सा था उनके हक हिस्से पर आज तक बदस्तूर काबिज व दखिल है। मौके पर मिन अप्रार्थीया सं0 1 का वास्तविक उनके हक हिस्से पर कब्जा है। जिसमें मिन अप्रार्थीया सं0 1 ने अपने पत्थर व ईंधन डाल रखे है। बयनामा दिनांक 21.08.2013 को विधि सम्मत तरीके से मिन अप्रार्थीया सं0 1 के पक्ष में अप्रार्थी सं0 2 व 3 के हिस्से में आया हुआ था उसका अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने समस्त प्रतिफल की राशि मिन अप्रार्थीया सं0 1 से प्राप्त कर पंजिबद्ध व तस्दीक उप–पंजियक महोदय, कोटकासिम से कराया है। बयनामा दिनांक 21.08.2013 को विधि सम्मत तरीके से हुआ है, गलत नहीं हुआ है। बयनामा पर अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये है। गवाहान की गवाहिया उस पर कराई है और बयनामा को श्रीमान उप–पंजियक अधिकारी, कोटकासिम ने भी पक्षकारान को पढ़कर सुनाया और श्रीमान उप–पंजियक महोदय, कोटकासिम ने भी उसे पढ़ व सुन व समझकर मिन अप्रार्थीया सं0 1 के पक्ष में पंजिबद्ध व तस्दीक किया है और पक्षकारान के अंगूठे व हस्ताक्षर भी उप–पंजियक महोदय, कोटकासिम ने अपने सामने करवाये है। इस तरह बयनामा दिनांक 21.08.2013 को विधि सम्मत तरीके से हुआ है। बयनामा दिनांक 21.08.2013 के अनुसार मिन अप्रार्थीया सं0 अप्रार्थी सं0 2 व 3 के हक हिस्से 1/5 पर मौके पर काबिज है। प्रार्थी ने समस्त तथ्य अपने प्रार्थनापत्र में झूंठा मिथ्या दर्ज किये है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, दिनांक 05.10.2013 की समस्त कहानी प्रार्थी ने नितान्त झंठी मिथ्या व मनघड़न्त वो बनावटी दर्ज की है। जिसमें रत्तिभर भी सच्चाई नहीं है। प्रार्थी मिन अप्रार्थीया सं0 1 से



उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रकम ऐंठना चाहता है जब मिन अप्रार्थीया सं0 1 ने प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को रकम देने से मना कर दिया तो प्रार्थी ने मिन अप्रार्थीया सं0 1 को ऐलानिया तौर पर धमकियां दी कि आप हमें रकम दे दो वरना हम आराजी ख0 नं0 938 की बाबत न्यायालय में वाद तुम्हारे खिलाफ दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेंगे और तुम्हारी खरीदशुदा आराजी का इंतकाल दर्ज नहीं होने देगें। इस कारणवश व मिन अप्रार्थीया सं0 1 को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से व मिन अप्रार्थीया सं0 1 को दीगर मुकदमाबाजी में फंसाकर बरबाद करने की नियत से व इंतकाल दर्ज नहीं होने से प्रार्थी ने यह झूंठा प्रार्थनापत्र अदालत श्रीमान में दायर किया हुआ है। मिन अप्रार्थीया सं0 1 ने विवादित आराजी में अप्रार्थी सं0 2 व 3 का जो बाहमी बंटवारा में 1/5 हिस्सा था। जिस पर वे काबिज काश्त थे वो हिस्सा जर्ये बयनामा दिनांक 21.08.2013 को विधि सम्मत तरीके से अप्रार्थी सं0 2 व 3 को समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद किया हुआ है। खरीद वक्त अप्रार्थी सं0 2 व 3 जहां पर काबिज काश्त थे वहीं पर मिन अप्रार्थीया सं0 1 को हल चलवाकर कब्जा सौंप दिया वक्त खरीद से ही अप्रार्थीया सं0 1 अप्रार्थी सं0 2 व 3 के हक हिस्से 1/5 भाग पर काबिज है। मौके पर वास्तविक कब्जा है। ईंधन, पत्थर डाल रखे है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार से अपूरणीय क्षति नहीं होती है। प्रार्थी मिन अप्रार्थीया सं0 1 को किसी भी सूरत में जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे। व सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थीया सं0 1 है। अतः प्रार्थना गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी मिन अप्रार्थीया सं0 1 को किसी भी सूरत में जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने समस्त तथ्य अपने प्रार्थनापत्र में झूंठे मिथ्या वो बनावटी दर्ज किये है। प्रार्थी की सिर्फ एक ही मंशा है कि मिन अप्रार्थीया सं0 1 की खरीदशुदा आराजी जो बयनामा दिनांक 21.08.2013 के अनुसार खरीद की है उसका इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो और मिन अप्रार्थीया सं0 1 से रकम ऐंठने की गरज से व मिन अप्रार्थीया सं0 1 को नाजायज तंग व परेशान कर दीगर मुकदमाबाजी में फंसाकर बरबाद करने की नियत से यह झूंठा प्रार्थनापत्र पेश किया है । अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र, एवं



उप खण्ड अधिकारी
कोटखावदा (जयपुर)

Scanned by CamScanner

दस्तावेजों से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित होता है। विवादित आराजी पक्षकारान की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो रहा है। विवादित आराजी में मिन प्रार्थी का 1/10 हिस्सा व तरतीबी अप्रार्थी का 1/10 हिस्सा सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त का है। जिस पर मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 के साथ सामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी के बीचों–बीच ग्राम शेरपुर से ग्राम बूढ़ाबावल को डामरीकरण सड़क गुजर रही है। अप्रार्थी सं0 2 व अप्रार्थी सं0 3 ने विवादित आराजी में अपना समस्त हक हिस्सा का बेचान जर्ये बयनामा दिनांक 21.08.2013 को बिना कनवर्ट कराये ही वर्गगज में दिशा अंकित कर सड़क से लगता हुंआ हिस्सा किया है वो बयनामा गलत विधि विरूद्ध कराया है। अप्रार्थीया सं0 1 विवादित आराजी के किसी भी जुज पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। वो गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आरांजी है। परन्तु अप्रार्थीया सं0 1 विधि विरूद्ध बयनामा के आधार पर विवादित आराजी पर अपना जबरन कब्जा कर काश्त करना चाहती है व विधि विरूद्ध बयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज करवाने की जुस्तजु में है। अप्रार्थीया सं0 1 ने दिनांक 05.10.2013 को विवादित आराजी में जबरन अपना कब्जा करने का असफल प्रयास किया और प्रार्थी को ऐलानिया तौर पर धमकियां दी कि वह आराज़ी पर अपना जबरन कब्जा करेगी और काश्त करेगी और इंतकाल अपने पक्ष में दर्ज राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर कराएगी और काश्त कार्य मिन प्रार्थी को नहीं करने देगी। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकारों की आराजी वंचित होना पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपये में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण सं0 1, 2, 3, 8 को जर्ये हुक्मईम्तनाईदवामी चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण सं0 1, 2, 3, 8 को जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी हाल ख0 नम्बर 938/1–00 बीघा वाके ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर अपना जबरन कब्जा ना करे, ना ही किसी भी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करे, ना काश्त कार्य करे, ना ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जबरन बेदखल करे, मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थीया सं0 1 के पक्ष में विधि विरूद्ध बयनामा दिनांक 21.08.2013 के अनुसार विवादित आराजी का इंतकाल दर्ज व मंजूर करे। प्रार्थी वकील ने न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 14.08.2012 पेज 530, आर.एल.डब्ल्यू 2010 (1) आर.जे. पेज 38 पेश किये।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)



Scanned by CamScanner

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी ने झूंठा वादपत्र, शपथपत्र पेश किया है। प्रार्थी का केस किसी भी सूरत में प्राइमाफेसाई आयद व साबित नहीं होता है। यह सही है कि विवादित आराजी प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी व अप्रार्थीगण स0 2 लगायत 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/10 हिस्सा व तरतीवी अप्रार्थी का 1/10 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। विवादित आराजी का प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 6 के मध्य पूर्व में ही बाहमी बंटवारा हो रहा था। बाहमी बंटवारा के अनुसार ही काबिज काश्त अपने–अपने हिस्से की आराजी पर थे। विवादित आराजी में अप्रार्थी सं0 2 रमेश व अप्रार्थी सं0 3 रामेहर का 1/5 भाग खातेदारी कब्जा काश्त का था। इसके अनुसार ही अप्रार्थी सं0 2, 3 विवादित आराजी में अपने 1/5 हिस्से पर काबिज खातेदार काश्तकार थे। बाहमी बंटवारा में जो अप्रार्थी सं0 2 व 3 का 1/5 हक हिस्सा था उस पर ये काबिज काश्त थे उस समस्त हक हिस्से को मिन अप्रार्थीया सं0 1 विमलादेवी ने अप्रार्थी सं0 2 व 3 को सौदे के मध्य समस्त चुकता रकम अदा कर जर्ये बयनामा दिनांक 21.08.2013 को खरीद किया। दिनांक 21.08.2013 को अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने विधि सम्मत तरीक से मिन अप्रार्थीया सं0 1 के हक में बयनामा लिखवाया और इस बयनामा पर अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये और अपने–अपने गवाहान के हस्ताक्षर गवाहान से करवाये और विधि सम्मत तरीके से बयनामा को श्रीमान उप–पंजियक महोदय, कोटकासिम को दिनांक 21.08.2013 को ही तस्दीक व पंजिवद्ध हेतु पेश किया गया। श्रीमान उप–पंजियक अधिकारी, कोटकासिम ने उक्त बयनामा को सही मानकर तस्दीक व पंजिवद्ध मिन अप्रार्थीया सं0 1 के पक्ष में किया है। दिनांक 21.08.2013 को ही अप्रार्थी सं0 2 व 3 विवादित आराजी में बाहमी बंटवारा में आई हुई आराजी 1/5 हिस्से पर जहां काबिज थे वही पर ही मिन अप्रार्थीया सं0 1 को सौंप दिया । जिसका अंकन बयनामा दिनांक 21.08.2013 में ही स्पष्ट हो रहा है। वक्त खरीद से ही आज तक बदस्तूर विवादित आराजी में जहां पर पहले अप्रार्थी सं0 2 व 3 का उनके 1/5 हिस्से पर कब्जा था वही पर ही मिन अप्रार्थीया सं0 1 काबिज है। मौके पर मिन अप्रार्थीया सं0 1 ने अपनी उक्त खरीदशुदा आराजी पर पत्थर डाल रखे है व ईंधन डाले हुये है। बाद बेचान से अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 का विवादित आराजी से कोई लेना–देना नहीं है। ना कब्जा काश्त है। वो गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजी है। मिन अप्रार्थीया सं0 1 अप्रार्थी सं0 1, 4, 5, 6 व प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के साथ काबिज काश्त है।

प्रार्थी ने समस्त तथ्य अपने प्रार्थनापत्र में झूंठा मिथ्या दर्ज किये है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, दिनांक 05.10.2013 की समस्त कहानी प्रार्थी ने नितान्त झंठी मिथ्या व मनघड़न्त वो बनावटी दर्ज की है। जिसमें रत्तिभर भी सच्चाई नहीं है। प्रार्थी मिन अप्रार्थीया सं0 1 से रकम ऐंठना चाहता है जब मिन अप्रार्थीया सं0 1 ने प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को रकम देने से



उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (बबवर)

Scanned by CamScanner

मना कर दिया तो प्रार्थी ने मिन अप्रार्थीया सं0 1 को ऐलानिया तौर पर धमकियां दी कि आप हमें रकम दे दो वरना हम आराजी ख0 नं0 938 की बाबत न्यायालय में वाद तुम्हारे खिलाफ दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेंगे और तुम्हारी खरीदशुदा आराजी का इंतकाल दर्ज नहीं होने देगें। इस कारणवश व मिन अप्रार्थीया सं0 1 को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से व मिन अप्रार्थीया सं0 1 को दीगर मुकदमाबाजी में फंसाकर बरबाद करने की नियत से व इंतकाल दर्ज नहीं होने से प्रार्थी ने यह झूंठा प्रार्थनापत्र अदालत श्रीमान में दायर किया हुआ है। खरीद वक्त अप्रार्थी सं0 2 व 3 जहां पर काबिज काश्त थे वहीं पर मिन अप्रार्थीया सं0 1 को हल चलवाकर कब्जा सौंप दिया वक्त खरीद से ही अप्रार्थीया सं0 1 अप्रार्थी सं0 2 व 3 के हक हिस्से 1/5 भाग पर काबिज है। मौके पर वास्तविक कब्जा है। ईंधन, पत्थर डाल रखे है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार से अपूरणीय क्षति नहीं होती है। प्रार्थी मिन अप्रार्थीया सं0 1 को किसी भी सूरत में जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थीया सं0 1 है। अतः प्रार्थना गलत है, अस्वीकार है तथा प्रार्थी मिन अप्रार्थीया सं0 1 को किसी भी सूरत में जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने समस्त तथ्य अपने प्रार्थनापत्र में झूंठे मिथ्या वो बनावटी दर्ज किये है। प्रार्थी की सिर्फ एक ही मंशा है कि मिन अप्रार्थीया सं0 1 की खरीदशुदा आराजी जो बयनामा दिनांक 21.08.2013 के अनुसार खरीद की है उसका इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो और मिन अप्रार्थीया सं0 1 से रकम ऐंठने की गरज से व मिन अप्रार्थीया सं0 1 को नाजायज तंग व परेशान कर, दीगर मुकदमाबाजी में फंसाकर बरबाद करने की नियत से यह झूंठा प्रार्थनापत्र पेश किया है । अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर विचार किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजा का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी 2 व 3 की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। अप्रार्थी 2 व 3 ने विवादित आराजी को विवादित होना विभाजित होना बताया है व बंटवारा के अनुसार ही बेचान करना बताया अप्रार्थी 2 व 3 ने बंटवारा संबंधी कोई साक्ष्य व सबूत न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नहीं किया है। नकल बयनामा के अनुसार अप्रार्थी 2 व 3 अप्रार्थी 1 के हक में किये गये बयनामे के नक्शे में बेचान की गई हिस्से की आराजी की दिशा व माप फुटो में दर्ज की गई है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी का बंटवारा नहीं होना पाया जाता है। अबट आराजी पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार का आराजी के प्रत्येक काबिज काश्त होती है। सह खातेदार काश्तकार द्वारा विधिवत बंटवारा कराये बिना भूमि के किसी विशेष भाग पर अपना हक जताना कानून के विरूद्ध है विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त



उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पूर्णतया लागू होते है। उक्त विवेचन से प्रार्थी का प्राईमाफेसाई मामला सावित है व सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 को हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबंद किया जाता है कि वो हाल ख0 नं0 938/1–00 बीघा वाके ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम पर किसी भी प्रकार कच्चा–पक्का निर्माण कार्य ना कर। मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जावे व बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-12-2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्गी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner